

मूसेवाला की हत्या: पाक से हथियार आने का अंदेश, लॉरेस का नाम आ रहा कड़ी में

जोधपुर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई

जोधपुर, (कासं)। जाने माने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शेखावाटी के बाद अब जोधपुर से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मूसेवाला को मारने के लिए हथियार पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जोधपुर आए थे। यहीं से यह हथियार शूटर को दिए गए। इधर, जोधपुर कनेक्शन सामने आने के बाद यहां की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। लॉरेस के पुराने गुणों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

इधर, मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेस पंजाब जाने से डर रहा है। बताया जा रहा है कि हथियारों का कनेक्शन सामने आने के बाद अब उसे दोबारा जोधपुर लाया जा सकता है। हालांकि, कमिश्नर नवज्योति गागोई ने इस बात से इंकार किया है।

कई गैंगस्टर्स के नाम आ रहे सामने:- पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेस ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में गैंगस्टर के ठिकानों और हथियार सप्लाई करने

वालों के नाम बताए हैं। इसमें फरीदकोट के रणजीत, हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव का विजय और राका का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि विजय जोधपुर में था और हथियार जोधपुर से सप्लाई हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर रहने वाला विजय जोधपुर राजस्थान से हथियार लेकर आया था।

पाक बांडर से हथियार आने का भी अंदेश :- अंदेश जाताया जा

रहा है कि हथियार बांडर से सटे पाकिस्तान बॉर्डर से सप्लाई हुए थे। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। इसके अलावा इसी एरिया में लॉरेस के गुंभी एक्टिव हैं। लॉरेस के आर्म्स एक्ट के पुराने केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़वा लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में गैंगस्टर की पेशी हुई। जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह गैंगस्टर को गंगानगर और जोधपुर ले जा सकते हैं।

चार साल पहले मां पर पेट्रोल डालकर जलाने वाले पुत्र को आजीवन कारावास

जज ने मृतका द्वारा बर्न अस्पताल में दिये बयान को बनाया निर्णय का आधार

सादलपुर, (निर्सं)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1 दीपक पाराशर ने राजगढ़ थाने में दर्ज लघुभंग चार वर्ष पुराने मामले में कलसुग्री इकलौते पुत्र को अपनी मां को जान से मारने की नियत से पेट्रोल डालकर हत्या करने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक राकेश सांगवान ने बताया कि प्रकरणानुसार 08 नवम्बर 2018 को सोनी बर्न हॉस्पिटल हल्ला में उपचारधीन सरला देवी पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी सूरतपुरा

अभियोजन की ओर से सत्रह गवाह के बयान करवाये गए

पुलिस थाना राजगढ़ ने पचास बयान में दर्ज करवाया था।

राजगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर सरला की हत्या के आरोप में एसीजेएम कोर्ट राजगढ़ में चालान पेश कर आरोप पत्र पेश किया। जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाह के बयान करवाये गये। जिस पर न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन

न्यायाधीश क्रम संख्या-1 दीपक पाराशर ने पत्रावली पर आये मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुदेश को अपनी मां की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अदम अदायी 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी राकेश सांगवान ने बताया कि न्यायालय ने मृतका सरला द्वारा आखिरी में बयान जो बर्न अस्पताल हिसार में डॉ. की उपस्थिति में पुलिस को दिए थे, उस बयान को सत्य माना एवं मुल्जिम सुदेश को दोषी ठहराया है।



मां की हत्या का दोषी पुत्र सुदेश

महिला के साथ दुष्कर्म व हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार



कुआं थाना पुलिस ने महिला के हत्यारे को गिरफ्तार किया।

इंगरपुर, (निर्सं)। कुआ थानान्तर्गत बावडी गांव में 82 साल की एक बुजुर्ग महिला काउडी पत्नी बदकी बामणिग्या मीणा निवासी बावडी के साथ जबरदस्ती कुकर्म के बाद मारपीट कर बुजुर्ग महिला हत्या कर दी थी जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ। इस मामले में कुआ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त बुजुर्ग महिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है।

कुआ पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला के हत्यारे को पकड़ने के लिए भरसक प्रयास किये गये जिस पर ज्ञात आया की मुल्जिम घटना के रोज से ही अपनी सकुनत पर नहीं होकर अपनी गिरफ्तारी के डर से इधर उधर व कड़ाणा बेक वाटर के टापुओं में छिप रहा है जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर तंत्र, गोपनीय सूचनाओं का

कुआ थानान्तर्गत बावडी गांव में 82 साल की एक बुजुर्ग से किया था दुष्कर्म का प्रयास

संकलन किया जाकर व तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी हुरजी की तलाश की जा रही थी, की टीम को सूचना मिली की आरोपी हुरजी को बावडी व कोचरी के बीच कड़ाणा बेक वाटर के किनारे स्थित झांडियों के आस पास देखा गया है, जिस टीम के द्वारा आरोपी हुरजी को घेरा देकर पकड़ा आरोपी हुरजी पिता माजवी बामणिग्या निवासी बावडी की गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

276 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा की तस्करी करते दो गिरफ्तार

पिकअप व स्विफ्ट कार सहित अवैध अफीम के 12 कट्टे जप्त किए

राजसमंद, (निर्सं)। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले की धरपकड़ अभियान के तहत चारभुजा पुलिस ने खाली केरेट की आड में एस्कॉर्टिंग से 276 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा की तस्करी करते दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिकअप व एस्कॉर्टिंग में प्रयुक्त कार जप्त की।

चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि जिले में अवैध पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सुधीर चौधरी निर्देशन एवं एसपी शिवलाल बैरवा, कुंभलगढ़ डीएसपी नरेश कुमार के सुपरवीजन में थानाधिकारी ने मय जाफा हेडकोस्टेबल फतेहसिंह, कोस्टेबल रामकरण, कुंभरदान, भगवानाराम, आशोक कुमार, ओमगार, चालक कोस्टेबल सुरेश कुमार के साथ



चारभुजा पुलिस ने अवैध अफीम डोडा-चूरा की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने पिकअप, कार व डोडा-चूरा भी जप्त किया।

रकवाने के लिए पुलिस जाब्ले ने हाथ का इशारा किया। इस पर चालक पिकअप को भगाकर ले जाने का प्रयास करने लगा, तो पुलिस ने तुरंत बेरीकेट लगाकर रोक दिया। पिकअप के रूकते ही स्विफ्ट कार चालक के पीछे बैठा एक व्यक्ति मौका देखकर कार की फाटक खोल मौके से भाग गया।

इस पर पुलिस ने पिकअप व स्विफ्ट कार व भागने वाले की सारी गतिविधियों का आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध होने की आशंका पर तुरंत कार से भागे व्यक्ति का पीछा किया।

किन्तु वह घने जंगल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया। लेकिन पिकअप को भगाकर ले जाने का प्रयास करने में मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों से उनका नाम पूछा गया तो पिकअप चालने में अपना नाम राजू पुत्र धरवलाल माली निवासी बिलिया देसूरी जिला पाली होना बताया तथा स्विफ्ट कार चालक ने अपना नाम बंसी पुत्र धना बंजारा निवासी बंजारा बस्ती ओडा रेलमगारा। पुलिस द्वारा दोनों से स्विफ्ट कार से भागी व्यक्ति का नाम पूछने पर किशन पुत्र मांगीलाल बंजारा निवासी तेजपुरा

कांकोरली का होना बताया। इसके बाद पुलिस द्वारा पिकअप की तलाशी ली तो पीछे प्लास्टिक के केरेट के नीचे काले रंग की कुल 12 कट्टे छुपाए हुए मिले। जिनमें कुल 276 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने अफीम डोडा चूरा को जप्त कर तस्करी में प्रयुक्त पिकअप तथा एस्कॉर्टिंग कार को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपी राजू माली व बंसी बंजारा को एनडीपीएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान जारी है।

पत्थरों से कुचल पत्नी व पुत्रियों की हत्या करने वाला हत्यारा पिता गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। कोटड़ा कस्बे में एक दिन पूर्व पत्थरों से कुचल पत्नी व दो मासूम पुत्रियों की हत्या के आरोपी पिता को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रकरण के अनुसार रविवार रात में कोटड़ा कस्बे के उपली सुबरी गांव निवासी पोपटराम ने पत्थर से हमला कर मकान के आंगन में सोई अपनी पत्नी काली, पुत्री सुमित्रा व नानी की हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने केवल 24 घंटों में ही हत्या के आरोपी पोपटराम पुत्र शांतिलाल को गिरफ्तार किया। पोपटराम गुजरात में मजदूरी करता एवं कभी कभार गांव आया करता था।

गत दिनों वह गांव आया एवं रविवार रात में पत्नी काली, उसकी दो बच्चियां सुमित्रा, नानी व दो पुत्र मेहुल, विका मकान के आंगन में साए

थे। रात में उसने पत्थर पत्नी के सिर पर पटक हत्या कर दी। इसको देख मेहुल अपने छोटे भाई विका को लेकर पड़ोसी नाथिया के घर में जाकर छिप गया। इधर पत्नी की हत्या करने के बाद उसने दोनों पुत्रियों सुमित्रा, नानी की भी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर थानाधिकारी पवनसिंह ने मौके पर पहुंच कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी देकर पीहर से परिजनों को बुलवा कर मृतका व उसकी बच्चियों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।

हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस ने 24 घंटों के भीतर हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक अनुसंधान में पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की आशंका के चलते पोपटराम द्वारा उसकी हत्या करने की जानकारी सामने आई है।



उदयपुर जिले की कोटड़ा थाना पुलिस ने एक दिन पूर्व पत्नी व दो मासूम बच्चियों की हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया।

अक्षरा के टॉप करने की खुशी में अध्यापकों ने जमकर डांस किया

भरतपुर, (निर्सं)। भरतपुर की अक्षरा फौजदार ने 12वीं क्लास में टॉप कर भरतपुर का नाम रोशन कर दिया है। आज अक्षरा फौजदार भरतपुर पहुंची। कल अक्षरा का रिजल्ट जारी हो गया था जिन्होंने आर्ट्स साइड से 98.80 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। अक्षरा के टॉप करने के बाद उनके स्कूल और घर में खुशी का माहौल है। अक्षरा के परिजनों का कहना है की अक्षरा ने उनका नाम रोशन कर दिया। बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में सभी छात्रों का मिठाई, माल्यार्पण से सम्मान किया गया। इस मौके पर स्कूल परिसर में छात्रों और स्कूली अध्यापकों ने जमकर डांस किया और सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आगे आने वाले भविष्य में अच्छा नाम रोशन करे।

बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग में राजस्थान टॉप करने वाली बाबा सुग्रीव विद्यापीठ की छात्रा अक्षरा फौजदार के भरतपुर आगमन पर बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में अक्षरा फौजदार का एवं 90 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। गौरतलब है कि अक्षरा फौजदार ने 98.8 प्रतिशत अंक लाकर कला वर्ग में राजस्थान टॉप किया है। बाबा सुग्रीव विद्यापीठ से भावना सिंह ने 96 प्रतिशत तनु लवानिया ने 94.4 प्रतिशत लावण्य सिंह ने 92.2 प्रतिशत नंदिनी सिंह ने 92.2; खुशी शर्मा ने 92 प्रतिशत शुभम यादव ने 92; हिमांशु 90.4 प्रतिशत ओम गुर्जर ने 90.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।

बाल श्रमिक बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया

टोंक, (निर्सं)। बालश्रम एवं बचपन बचाओ एक्शन मंच के चल रहे अभियान का कार्यवाही में एक नाबालिक को भेड़ चराने की बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया।

एक नाबालिक बाल श्रमिक बंधुआ मजदूर बूंदी जिले का निवासी छोटू मीना निवासी मोलाईपुरा की मां को 30 हजार रुपए सालाना तय कर बालक से भेड़े चरवाई जाने की मुखबिर की सूचना पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट टोंक प्रभारी ब्रजमोहन देवराज मय टीम व चाइल्ड टीम से राहुल गजरा व निसार अहमद ने जाकर मगरा माल पालडी के पास इलाका थाना मेहंदवासे से छोटू लाल मीणा निवासी मोलाईपुरा द्वारा चरवाई जा रही भेड़ों से बालक बाल श्रमिक को दस्तयाब कर नियोजित के विरुद्ध अभियोग दर्ज थाना मेहंदवासे करवाया। बालक को सीवीसी के समक्ष पेश किया। बालक करीब 12 वर्ष का है, जिससे 7 महीने पूर्व से बंधुआ बनाकर रख रखा था।

अजमेर के जनाना अस्पताल में प्रसूता ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया

शादी के चार साल बाद हुए दो लड़के व दो लड़कियां एक साथ, सभी स्वस्थ

अजमेर, (कासं)। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम हट्टुडी निवासी असलम खान शादी के चौथे साल में एक साथ चार बच्चों का पिता बन गया। कुहरत का ऐसा तोहफा पाकर असलम ही नहीं पूरा गांव जश्न मना रहा है। असलम की पत्नी और उसके चारों बच्चे जिनमें दो लड़के व दो लड़कियां हैं, अजमेर के राजकीय जनाना अस्पताल में चिकित्सकीय देखभाल में हैं।

असलम खान ने जानकारी दी कि उसका विवाह फरीदा बानो से हुआ था। उसके शादी के चार साल में कोई औलाद नहीं हुई। फरीदा जब गर्भवती हुई तो उन्होंने हट्टुडी स्थित चिकित्सक के परामर्श पर सोनाग्राफी कराई थी। जिसमें उसके गर्भ में चार बच्चे होने का पहली बार पता चला था। इस जानकारी से



अजमेर के जनाना अस्पताल में महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया।

उसका परिवार ही नहीं बल्की गांव वाले भी बहुत खुश हुए थे। सभी को फरीदा के स्वस्थ प्रसव की चिंता भी थी। सोमवार की रात फरीदा को प्रसव पीड़ा महसूस

होने पर उसे अजमेर के राजकीय जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे के आस पास प्रसूता ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है। फिलहाल उसके बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। जबकि प्रसूता को सामान्य बार्ड में उपचार दिया जा रहा है। बच्चों में दो लड़के व दो लड़कियां होना बताया गया है। कौन पहले हुआ कौन बाद में यह अभी ज्ञात नहीं है। अस्पताल स्टाफ के अनुसार प्रसूता और उसके बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। असलम ने बताया कि उस पर कुदरत की ऐसी बेहबानी हुई कि वह एक साथ चार बच्चों को पिता बन गया। वह बहुत खुश है। इस खुशी में पूरे गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है। सभी उसे बधाई दे रहे हैं।

बाल अपचारी डिटेल

- **मार्बल कारोबारी पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल**
- **तीनों मार्बल कारोबारी राजसमंद माइंस से कार्य कर किशनगढ़ लौट रहे थे**

इंदिरा कॉलोनी निवासी मार्बल कारोबारी धीरज छाबड़ा (54) पुत्र सोहनलाल छाबड़ा व इसका पुत्र आशीष छाबड़ा (30) गंभीर रूप से घायल हो गये। तीनों घायलों को अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर भर्ती कराया, किन्तु श्योचंद जाट की उपचार के दौरान मौत हो गई। इनमें से आशीष छाबड़ा की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार तीनों मार्बल कारोबारी राजसमंद माइंस से कार्य कर किशनगढ़ लौट रहे थे।

उदयपुर, (कासं)। पानरवा थाना पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते वृद्ध की हत्या करने के आरोप में विधो से संघर्षरत एक बाल अपचारी को डिटेल किया। प्रकरण के अनुसार पीड़ित आमड़ा पानरवा निवासी कमला पुत्री अर्जुनसिंह सोलंकी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 4 जून रात में मेरे पिता अर्जुनसिंह (65) पुत्र नवलसिंह पापा की मोटर बंद कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान निलेश व उसके साथ दो नाबालिग ने मेरे पिता के साथ मारपीट की। इसका पता चलने पर मैं व मेरे बहन बचाव के लिए दौड़ी तो आरोपी फरार हो गए। दौड़कर आए मेरी मां मोतरीबाई, जीजी तख्तसिंह पुत्र नवलसिंह पापा को घायल अवस्था में घर लेकर आए तथा खाट पर सुलाया इस दौरान पानी मांगते मांगते पापा की मौत हो गई। आरपी निलेश के दादा की हत्या का केस मेरे पिता पर चल रहा था उस केस में पापा 6 साल जेल में बंद थे एवं जमानत पर बाहर आए थे। आरोपियों ने देवीसिंह के पड़वंत्र रचने से पिता की हत्या की।